

:: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राजस्थान) ::

क्रमांक : स्था./2024/ ९

दिनांक : 12.02.2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

मैं, परवीन बानू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित शासकीय अवकाश में डूंगरपुर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित अपराधिक प्रकरणों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वहीं अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान इन्चवेस्ट व मृत्युकालिन वयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी द्वारा किये जायेंगे जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है।

माह : मार्च 2024

1	03.03.2024,	श्रीमती देवांगिनी औदित्य	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर, न्याय बोर्ड डूंगरपुर
2.	08.03.2024, 09.03.2024 10.03-2024	श्री मुकेश कुमार रेगर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
3.	17.03.2024	श्रीमती जयश्री मीणा	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर
4.	23-03-2024 24-03-2024 25-03-2024	श्रीमती सोनल शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
5.	29-03-2024	सुश्री शिखा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट आसपुर
6.	31-03-2024	श्री दिलीप चौधरी	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिछीवाडा

- नोट :-
- 1- उक्त राजकीय अवकाश के दिन तालुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
 - 2- रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

Perveen Banu
12.02.24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2024/299-317

दिनांक: 12.02.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंजरपुर ।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय झुंजरपुर ।
3. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंजरपुर, / सागवाडा ।
4. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंजरपुर ।
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, झुंजरपुर को अपने अधीनस्थ समस्त थानो को सूचित करने हेतु।
6. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंजरपुर/सागवाडा ।
7. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, झुंजरपुर ।
8. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंजरपुर/आसापुर/सीमलवाडा ।
9. न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंजरपुर ।
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसापुर/विष्ठीवाडा ।
11. अध्यक्ष, वार एसोसिएशन, झुंजरपुर ।
12. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, झुंजरपुर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावे।
13. नोटिस बोर्ड ।
14. श्रीमान प्रभारी अधिकाारी नजारत शाखा, झुंजरपुर ।
15. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, झुंजरपुर ।
16. सिरटम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंजरपुर को वारते ऑफिशियल वेबसाईड पर डालने हेतु।
17. कार्यालय प्रति।

Paween Bani
12.02.24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंजरपुर (राज.)